भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 93

सोमवार, 02 मार्च, 2015/11 फाल्गुन, 1936 (शक)

ईपीएफ अंशदाताओं के लिए आवास

*93. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री जी. हरि:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशदाताओं को सस्ता घर प्रदान करने के लिए कोई मेगा आवास योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इसके लिए कुछ सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सहयोग से कार्य करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित और पूरा किए जाने की संभावना है तथा इस योजना से कितने कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

ईपीएफ अंशदाताओं के लिए आवास के बारे में डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्री जी हरि द्वारा दिनांक 02.03.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्मित योजनाओं के अंशदाताओं को आवास सामाजिक सुरक्षा प्रसुविधाओं के रूप में प्रदान करने से संबंधित मुद्दे पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) बैठकों में चर्चा की गई है। सीबीटी, ईपीएफ ने 19.12.2014 को हुई अपनी 205वीं बैठक में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ): ऊपर प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 982

सोमवार, 2 मार्च, 2015/11 फाल्गुन,1936 (शक)

ईपीएफ अधिनियम का उल्लंघन

982. श्रीमती कोयापल्ली गीता:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई सौ निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों के विरुद्घ अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस संबंध में नियमों और विनियमों और अन्य अधिनियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ध्यानार्थ ऐसे दृष्टांत आए हैं जिनमें निजी नियोजन एजेन्सियों ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

(ख): चूंकि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में "नियोजन एजेन्सियां" जैसा कोई अलग अनुसूची शीर्ष या स्थापन वर्ग नहीं है, इसलिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस उल्लंघन के संबंध में कोई विशिष्ट डाटा उपलब्ध नहीं है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाई गई स्कीमों के उल्लंघन के मामले में चूककर्ता नियोजन एजेन्सियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई हैं।

i. अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षकों द्वारा चूककर्ता स्थापनों का निरीक्षण किया जाता है।

ii. देयों के मूल्यांकन हेतु चूककर्ता स्थापनों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

iii. विलंब से देय जमा कराने पर हर्जाना लगाने के लिए अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

iv. लंबित विप्रेषित धन पर ब्याज लगाने के लिए अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

v. अधिनियम की धारा 8ख से 8छ के अंतर्गत किए गए उपबंधों के अनुसार वसूली की कार्रवाईयां की जाती हैं।

vi. चूककर्ताओं के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

vii. कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से काटे गए लेकिन निधि में जमा न कराए गए कर्मचारियों के अंशदान के शेयर की गैर-अदायगी के लिए नियोक्ता से विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 927

सोमवार, 2 मार्च, 2015/11 फाल्गुन, 1936 (शक)

पेंशन योजना रिपोर्ट में दर्शित घाटा

927. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंशदाताओं के लिए प्रबंधित पेंशन योजना की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट में भारी घाटा दिखाया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उपर्युक्त घाटा नियन्त्रणीय सीमा से बाहर है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे भारी घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समीक्षा समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में निवेश के मानदंडों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष बीमांकक सिद्धांतों के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना,1995 (ईपीएस) का मूल्यांकन किया जाता है। 31.03.2014 को किए गए मूल्यांकन के अनुसार ईपीएस में बीमांकक घाटे के रुप में 7832.74 करोड़ रुपये की रिपोर्ट की गई है।
(ग): 31.03.2014 को किए गए बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 7832.74 करोड़ रुपये के वर्तमान मूल्य का घाटा कुल देयता के 2.50% से कम है जो कि चिंता का विषय नहीं है।
(घ): उपुर्यक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।
(ड.) और (च): जी, नहीं। वित्त मंत्रालय समय-समय पर निवेश के मानदंडों की समीक्षा करता है।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 930

सोमवार, 2 मार्च, 2015/11 फाल्गुन, 1936 (शक)

ओ.एन.जी.सी. के अंतर्गत आने वाले कामगारों को भविष्य निधि

930. श्री डी एस राठौड़:
श्री नारणभाई काछडिया:
श्री कुँवर सर्वेश कुमार:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ओ.एन.जी.सी. सहित उद्योगों/पीएसयू के कामगारों को संबंधित कार्यालयों में अपने भविष्य निधि (पी एफ) के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार न होने के बारे में अवगत है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों में ठेका कामगार के रूप में तैनात किए गए कामगारों को निजी प्लेसमेन्ट एजेन्सियों द्वारा भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान न किए जाने या उससे बचने की घटनाओं पर भी ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे दोषी पाए गए लोगों के विरुद्घ शुरू की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप एकत्रित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इस संबंध में किसी भी क्षेत्र से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सरकारी मंत्रालयों/विभागों में ठेका कामगारों को नियोजित करने वाले प्लेसमेंट एजेंसियों से संबंधित किसी आंकड़े का अनुरक्षण नहीं करता है। तथापि, प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा कुछ चूक के मामले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संज्ञान में आए हैं और उन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 929

सोमवार, 2 मार्च, 2015/11 फाल्गुन, 1936 (शक)

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में पिछड़ना

929. श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं ने भारत की पेंशन व्यवस्था को सबसे नीचे रखा है क्योंकि भारत की वर्तमान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में पर्याप्तता (लाभ, बचत, कर सहायता आदि) और संवहनीयता (कवरेज, अंशदान आदि) का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा नागरिकों विशेषकर गरीब वृद्धों को अच्छी पेंशन व्यवस्था प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद असंगठित क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): उपर्युक्त प्रश्न भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 997

सोमवार, 2 मार्च, 2015/11 फाल्गुन,1936 (शक)

निष्क्रिय ईपीएफ खाते

997. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निष्क्रिय खातों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त सभी खातों के निश्चित दावाकर्ता हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त राशियों को सही दावाकर्ताओं को संवितरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक और चालू वर्ष के दौरान समायोजित खातों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): ईपीएफओ के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखों के अनुसार, 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार निष्क्रिय लेखों में पड़ी राशि के विवरण अनुबंध-I पर दिए गए हैं।

(ख): जी हां।

(ग): हकदार दावेदारों के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) ईपीएफओ ने सदस्यों के निष्क्रिय लेखों की पहचान करने के लिए उनकी सहायता हेतु 18.02.2015 को पोर्टल आरंभ किया है।

(ii) निष्क्रिय लेखों के संराधन और इसके हकदार लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया प्राथमिकता पर आरंभ की गई है। ईपीएफओ द्वारा फील्ड कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं।

(iii) ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को विशिष्ट सार्वभौम खाता संख्या(यूएएन) आबंटित की हैं जो नियोक्ताओं के हस्तक्षेप के बिना सदस्यों की पहचान करने को समर्थ बनाएगा।

(iv) सदस्यों को शिक्षित करने के लिए समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निष्क्रिय लेखों में से संवितरित राशि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

निष्क्रिय ईपीएफ लेखों के संबंध में श्री मल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा 02.03.2015 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 997 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित

31-03-2014 की स्थिति के अनुसार निष्क्रिय लेखों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्रम संख्या	राज्य संघ शासित क्षेत्र	राशि (करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	2,191.45
2	बिहार	141.93
3	छत्तीसगढ़	358.58
4	दिल्ली	2,430.61
5	गोवा	143.17
6	गुजरात (दमन एवं दीव और दादर और नगर हवेली सहितां)	1,921.10
7	हरियाणा	1,510.56
8	हिमाचल प्रदेश	151.64
9	झारखंड	158.51
10	कर्नाटक	3,013.63
11	केरल (लक्षदीव सहित)	396.90
12	मध्य प्रदेश	719.78
13	महाराष्ट्र	6,765.14
14	असम, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से	149.52
15	ओडिशा	466.49
16	पंजाब (चंडीगढ़ संघ शासित सहित)	1,030.49
17	राजस्थान	636.41
18	तमिलनाडू (पांडिचेरी सहित)	2,235.71
19	उत्तराखण्ड	133.46
20	उत्तर प्रदेश	1,598.96
21	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित)	1,294.48
	अखिल भारतीय योग	**27,448.54**

अनुबंध-II

निष्क्रिय ईपीएफ लेखों के संबंध में श्री मल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा 02.03.2015 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 997 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के लिए निष्क्रिय लेखा से संवितरित राशि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

[रुपये राशि में.]

क्रम संख्या	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	82,98,52,986.00	2,19,05,29,828.00	2,94,84,22,466.00
2	बिहार	0.00	63,61,06,765.00	5,69,63,88,264.00
3	छत्तीसगढ़	20,84,24,387.00	28,32,95,053.00	34,47,54,451.00
4	दिल्ली	0.00	2,25,71,73,632.04	3,13,96,86,002.00
5	गोवा	6,40,72,762.00	10,89,25,891.00	22,69,39,587.00
6	गुजरात (दमन एवं दीव और दादर और नगर हवेली सहित)	31,43,40,102.00	80,81,05,518.00	2,01,92,48,501.00
7	हरियाणा	1,24,58,39,059.00	1,95,57,40,229.00	1,87,75,30,180.00
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	55,20,65,213.00	30,54,24,866.00
9	झारखंड	0.00	0.00	1,08,41,33,070.00
10	कर्नाटक	62,65,09,161.63	2,87,00,22,061.00	3,41,98,87,836.00
11	केरल (लक्षदीव सहित)	0.00	0.00	69,45,78,837.00
12	मध्य प्रदेश	77,13,05,750.00	1,00,49,52,267.00	1,03,37,58,771.00
13	महाराष्ट्र	1,99,23,28,633.00	5,32,15,63,723.00	4,72,20,61,711.00
14	असम, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से	0.00	0.00	0.00
15	ओडिशा	0.00	88,65,56,745.00	1,28,44,97,152.00
16	पंजाब (चंडीगढ़ संघ शाति सहित)	0.00	64,59,06,122.00	1,47,92,29,317.00
17	राजस्थान	5,51,98,340.00	1,26,20,84,419.00	1,20,31,34,347.00
18	तमिलनाडू (पांडिचेरी सहित)	1,32,67,09,680.00	2,15,14,74,879.00	3,21,31,10,144.00
19	उत्तराखण्ड	0.00	11,44,91,271.00	15,27,57,692.00
20	उत्तर प्रदेश	1,25,59,94,972.00	2,65,64,40,718.00	2,26,52,76,870.00
21	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित)	86,44,85,930.00	3,19,85,44,993.00	6,05,62,59,868.00
	अखिल भारतीय योग	**9,55,50,61,762.63**	**28,90,39,79,327.04**	**43,16,70,79,932.00**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 976

सोमवार, 02 मार्च, 2015/11 फाल्गुन, 1936 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत कर्मचारी

976. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:

श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत कवर वर्तमान कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए पात्र मानदंडों को सरल बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या ईपीएफ के अंतर्गत कर्मचारियों के अंशदान में वृद्धि और कर्मचारी शब्द के दायरे में भी विस्तार का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने तीन वर्षों के लिए फंड मैनेजर की नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) 30.09.2014 की स्थिति के अनुसार ईपीएफ के 131041443 सदस्य थे। निधि के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध पर है।

(ख) और (ग) इस अधिनियम को अधिक कर्मचारियों पर लागू करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज हेतु सीमा को पहले ही 01.09.2014 से 6500/- रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 15000/- रूपये प्रति माह कर दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न के उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(च) 01.04.2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए निधि प्रबंधकों की नियुक्ति की प्रक्रिया विचाराधीन है।

***

अनुबंध

कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत कर्मचारियों के संबंध में श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू एवं श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर द्वारा दिनांक 02.03.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 976 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

30.09.2014 की स्थिति के अनुसार ईपीएफ के अंतर्गत सदस्यों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	सदस्य
1.	तेलंगाना सहित आन्ध्र प्रदेश	11519100
2.	बिहार	715712
3.	छत्तीसगढ़	1142044
4.	दिल्ली	12125299
5.	गोवा	1228027
6.	दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली सहित गुजरात	11601212
7.	हरियाणा	6375204
8.	हिमाचल प्रदेश	1057577
9.	झारखंड	922196
10.	कर्नाटक	15569892
11.	लक्षद्वीप सहित केरल	2511405
12.	मध्य प्रदेश	2906089
13.	महाराष्ट्र	25862078
14.	असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	434903
15.	ओडिशा	2542398
16.	चंडीगढ़ सहित पंजाब	5278655
17.	राजस्थान	1157016
18.	पुडुचेरी सहित तमिलनाडु	17203174
19.	उत्तर प्रदेश	1986608
20.	उत्तराखण्ड	1730052
21.	अंडमान निकोबार एवं सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	7172802
	कुल	**131041443**

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1020

सोमवार, 2 मार्च, 2015/11 फाल्गुन, 1936 (शक)

असंगठित कामगारों की सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन)

1020. डॉ. बूरा नरसैय्या गौड:
श्री एंटो एन्टोनी:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने देश में कार्यरत सभी कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए वैश्विक खाता संख्या (यूएएन) शुरू किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यूएएन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) देश में असंगठित क्षेत्र के कुल श्रमिकों की संख्या में से अभी तक कितने यूएएन जारी किए गए हैं;
(घ) उक्त परियोजना की कुल लागत का ब्यौरा क्या है एवं अभी तक कितनी राशि व्यय की गई;
(ड) क्या यूएएन की प्राप्ति के लिए आधार कार्ड/संख्या अनिवार्य है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि एंव प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए अंशदान करने वाले अपने सदस्यों को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) आबंटित करना शुरु कर दिया है।
(ख): सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) को किसी सदस्य के विभिन्न प्रतिष्ठानों में उसके सभी नियोजन के लिए एक सार्वभौमिक (अम्ब्रेला) संख्या के रुप में प्ररुपित किया गया है।

इससे सदस्यों को आरंभ में निम्नलिखित रुप में फायदा होगा:
(i) सदस्य यूएएन आधारित सदस्य पोर्टल के माध्यम से अपने अद्यतन भविष्य निधि शेष की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
(ii) इस तंत्र के माध्यम से सदस्य के यूएएन डेटाबेस में डाले गए बैंक खाता, आधार एवं पैन संख्या के विवरण रोजगार परिवर्तन पर नियोक्ता द्वारा सत्यापित किए जाने पर भविष्य निधि में जमा राशि की पोर्टेबिलिटी संभव हो सकेगी।
(iii) यदि सदस्य ने यूएएन आधारित सदस्य पोर्टल पर अपनी मोबाइल संख्या रजिस्टर्ड कराई हो तो उसे विधिवत एक्टिवेशन के उपरांत, भविष्य निधि अंशदान प्राप्ति के संबंध में मोबाइल पर संदेश मिल जाएगा।

(ग): 24.02.2015 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि एंव प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए अंशदान करने वाले सदस्यों को यूएएन आवंटित किया गया उनकी कुल संख्या 4,31,71,268 है।

(घ): सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) की परियोजना को एक अलग परियोजना के रुप में नहीं लिया गया है।

(ड.): जी, नहीं।

(च): उपर प्रश्न के भाग (ड.) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1000

सोमवार, 2 मार्च, 2015/11 फाल्गुन,1936 (शक)

पेंशन कानून, 1995

1000. श्री रामदास सी तडस:

श्री राघव लखनपाल:

श्री राजेश वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सम्मिलित हेतु दिहाड़ी सीमा को बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईपीएफ और निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों हेतु पेंशन कानूनों की समीक्षा और कतिपय नियमों के संशोधन का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबबंध में समिति भी गठित की है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को उपलब्ध होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश हेतु न्यूनतम पेंशन योजना संबंधी किसी समीक्षा/नई नीति को प्रस्तावित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत बनाई गई तीन स्कीमों के अंतर्गत सदस्यता हेतु वेतन की अधिकतम सीमा को राजपत्र की अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 609(अ.) दिनांक 22.08.2014 के माध्यम से 01.09.2014 से 6,500/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000/- रुपये प्रतिमाह किया गया है।

(ख) और (ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा समय-समय पर उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं।

(घ): जी नहीं।

(ङ): उपर्युक्त प्रश्न के भाग(घ) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(च): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कोई राज्य विशिष्ट स्कीम नहीं है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1081

सोमवार, 02 मार्च, 2015/11 फाल्गुन, 1936 (शक)

ईपीएस के अंतर्गत निजी क्षेत्र के कामगारों को पेंशन

1081. कुमारी प्रीतम मुंडे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सहकारी तथा निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को पेंशनभोगियों को समय पर पेंशन मिलने और पेंशन राशि के बहुत कम होने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) पेंशनभोगियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पेंशन की न्यूनतम राशि में भी वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम (ईपीएफ एण्ड एमपी), 1952 के अंतर्गत कवर किए गए निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू है जिनमें 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम (ईपीएफ एण्ड एमपी), 1952 सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के अंतर्गत पंजीकृत 50 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले तथा विद्युत की सहायता के बिना संचालित किसी प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होता।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत, 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 51.86 लाख है।

(ग) से (ड.): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने प्रत्येक माह पेंशनधारकों के खाते में पेंशन इलैक्ट्रॉनिक रुप से जमा करने के लिए पेंशनभोगियों के कोरबैंकिंग सिस्टम खाता संख्या हासिल किए हैं तथा पेंशन बाद वाले महीने के प्रथम दो से तीन कार्यदिवसों के भीतर पेंशनधारकों के खाते में पेंशन जमा कर दी जाती है।

सरकार ने 01.09.2014 से प्रति माह 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करने के लिए सा.का.नि. संख्या 593(अ) दिनांक 19.08.2014 द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को हाल ही में संशोधित कर दिया है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1114

सोमवार, 2 मार्च, 2015/11 फाल्गुन, 1936 (शक)

कामगारों द्वारा ईपीएफ/ईएसआई के लिए अंशदान

1114. श्री दिनेश त्रिवेदी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारियों को वेतन विकल्प देने वाले कानूनों में बदलाव के संबंध में कंपनियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत में कम मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों से वेतन कटौती (भविष्य निधि, पेंशन निधि और ईएसआई के लिए अंशदान) विश्व में सबसे अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्य प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसमें संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उपर्युक्त कटौतियों के बिना अपने वेतन को चुनने की अनुमति हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के अंतर्गत नियोक्ता इस निधि में मजदूरी 12% की दर से अंशदान करते हैं और कर्मचारियों द्वारा समान अंशदान किया जाता है। नियोक्ताओं के अंशदान 12% में से 8.33% पेंशन निधि में अंतरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बी अधिनियम,1948 के अंतर्गत वे कर्मचारी जो 15000/- रुपये तक वेतन आहारित करते हैं उनके संबंध में 6.5% दर से (4.75% नियोक्ताओं का हिस्सा और 1.75% कर्मचारियों का हिस्सा) अंशदान देय है।

(घ): जी, नहीं।

(ड.): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1920

सोमवार, 09 मार्च, 2015/18 फाल्गुन, 1936 (शक)

लंबित ईपीएफ दावों का निपटान

1920. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निपटान के लिए लंबित कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के मामलों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण की अपर्याप्त संख्या के कारण लाभार्थियों के ईपीएफ दावों संबंधी मामलों के निपटान की दर कम है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं, तो ऐसे मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(घ) लंबित दावों के त्वरित निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ड) क्या सरकार का ईपीएफओ संगठन के कार्यकरण की समीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निपटान हेतु लम्बित मामलों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को तीन योजनाओं के अंतर्गत हर तरह से पूर्ण दावों को इनके प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर निपटाने का अधिदेश दिया गया है। किसी भी समय दावे लंबित न हों, यह संभव नहीं है क्योंकि दावा प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। फिलहाल, संगठन सभी दावों के लगभग दो तिहाई दावों को उनकी प्राप्ति के 10 दिन के अंदर निपटाने में सक्षम है तथा शेष दावे अधिदेश के अनुसार निपटाए जाते हैं।

(घ): दावों के शीघ्र निपटान के लिए ईपीएफओ द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i. निपटान की प्रक्रिया सरल की गई है तथा कतिपय मैनुअल प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया है।
ii. निपटान की स्वीकृति हेतु प्राधिकरणों को 3 से कम करके 2 स्तर तक कर दिया गया है।
iii. नियोक्ताओं के लिए उनके विवरण इलैक्ट्रॉनिक रूप से भरने के लिए ईसीआर(इलैक्ट्रॉनिक चालान-सह-विवरण) का प्रावधान किया गया है।
iv. भुगतानों के लिए राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण(एनईएफटी) आरंभ की गयी है। मासिक पेंशन के भुगतानों सहित 99% से अधिक भुगतान इलैक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं।
v. अंतरण दावों की प्रक्रिया को पुन: तैयार किया गया है।

परिणामस्वरूप, वर्षानुवर्ष लंबन का अनुपात धीरे-धीरे कम हुआ है:-

वर्ष	लंबन का अनुपात(%)
2011-12	4.62
2012-13	1.84
2013-14	1.51

(ङ): सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करती रही है। इसके परिणामस्वरूप दावों के निपटान तथा उनके भुगतान दोनों में ही क्षमता में सुधार हुआ है।

*****

अनुबंध

ईपीएफ दावों के निपटान के संबंध में श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा दिनांक 09.03.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1920 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष में निपटान के लिए लंबित मामलों का राज्य-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य	2011-12*	2012-13*	2013-14*	2014-15# (28.02.2015 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	38387	21384	29997	34002
2	बिहार	3114	1617	190	2104
3	छत्तीसगढ़	96	757	236	3110
4	दिल्ली	73083	30977	10468	4305
5	गोवा	1909	1405	1008	3022
6	गुजरात (दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली सहित)	19543	9526	3409	17394
7	हरियाणा	31622	18261	11093	26488
8	हिमाचल प्रदेश	2124	2147	1467	2114
9	झारखण्ड	4710	150	188	2807
10	कर्नाटक	82403	40007	34055	38069
11	केरल (लक्षद्वीप सहित)	12342	7908	10604	9772
12	मध्य प्रदेश	3	1	396	1311
13	महाराष्ट्र	167376	45130	67651	97604
14	असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य	1544	84	125	1758
15	ओडिशा	7060	3190	5349	6259
16	पंजाब (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित)	6148	1920	3460	8805
17	राजस्थान	4113	4171	240	2228
18	तमिलनाडु	85013	38879	43358	56979
19	उत्तराखण्ड	8133	3137	2648	1486
20	उत्तर प्रदेश	23385	8059	2188	8289
21	पश्चिम बंगाल (अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम सहित)	14405	35667	4748	18160
	अखिल भारत योग	586513	274377	232878	346066

* संबंधित वर्षों में मार्च के अंतिम कार्य दिवस तक प्राप्त दावे शामिल हैं।

फरवरी, 2015 के अंतिम कार्य दिवस तक प्राप्त दावे शामिल हैं।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1893

सोमवार, 9 मार्च, 2015/18 फाल्गुन, 1936 (शक)

कामगारों को पी. एफ. का भुगतान नहीं किया जाना

1893. प्रो. सौगत राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी निर्माण कम्पनियों सहित बड़ी संख्या में संस्थान कामगारों को भविष्य निधि का भुगतान नहीं कर रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसे कामगारों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल निजी निर्माण कंपनियों सहित कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा भविष्य निधि लाभों को देने से इंकार करने के मामले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जानकारी में आए हैं क्योंकि उनके द्वारा अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है।

(ख): अधिनियम के अंतर्गत शामिल चूककर्ता प्रतिष्ठानों का विवरण **अनुबंध-क** पर है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 क के अंतर्गत चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जांच कार्रवाई शुरु की गई है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (दिसम्बर,2014 तक) के दौरान इस अधिनियम की धारा 7 क के अंतर्गत की गई जांच कार्रवाईयों की संख्या संबंधी विवरण **अनुबंध-ख** पर है।

(घ): इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल कामगारों के हितों की संरक्षा के लिए चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निम्नलिखित कार्रवाईयां की जाती हैं:-

i. देयों के आकलन के लिए चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7 क के अंतर्गत कार्रवाई।

ii. अधिनियम की धारा 14 ख के अंतर्गत देयों को देर से जमा करने के लिए जुर्माना लगाने की कार्रवाई।

iii. धारा 7 थ के अंतर्गत देर से जमा की गई राशि पर ब्याज लगाने की कार्रवाई।

iv. अधिनियम की धारा 8 ख से 8 छ के अंतर्गत वसूली करने की कार्रवाई।

v. अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत चूककर्ताओं के विरुद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोजन दायर करने की कार्रवाई।

vi. कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि अंशदान की कटौती करने परन्तु उनका हिस्सा निधि में जमा नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई।

*****

अनुबंध-क

कामगारों को पी एफ का भुगतान नहीं किया जाना संबंधी प्रो. सौगत राय द्वारा दिनांक 09.03.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1893 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अधिनियम के अंतर्गत चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों की संख्या संबंधी विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिसम्बर,2014 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित	1473	1605	1461	399
2	बिहार	91	62	147	16
3	छत्तीसगढ़	99	44	87	100
4	दिल्ली	20	62	105	33
5	गोवा	8	126	102	3
6	गुजरात, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली सहित	366	293	387	118
7	हरियाणा	241	170	112	160
8	हिमाचल प्रदेश	102	0	0	0
9	झारखण्ड	0	0	0	0
10	कर्नाटक	1132	1217	1152	791
11	लक्षद्वीप सहित केरल	2284	2009	2078	5646
12	मध्य प्रदेश	171	553	423	386
13	महाराष्ट्र	313	538	181	439
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित	165	135	161	89
15	उड़ीसा	291	96	39	55
16	पंजाब, चंडीगढ़ सहित	89	66	485	52
17	राजस्थान	91	119	210	94
18	तमिलनाडु, पुदुचेरी सहित	4409	3609	5198	3273
19	उत्तर प्रदेश	249	288	555	84
20	उत्तराखण्ड	50	66	87	51
21	पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम सहित	259	337	374	318
	कुल	**11903**	**11395**	**13344**	**12107**

अनुबंध-II

कामगारों को पी एफ का भुगतान नहीं किया जाना संबंधी प्रो. सौगत राय द्वारा दिनांक 09.03.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1893 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत शुरु की गई जांच संबंधी विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिसम्बर,2014 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित	2466	2277	2621	857
2	बिहार	55	47	144	31
3	छत्तीसगढ़	91	172	157	439
4	दिल्ली	107	155	162	125
5	गोवा	66	155	84	49
6	गुजरात, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली सहित	310	609	652	359
7	हरियाणा	449	612	840	420
8	हिमाचल प्रदेश	176	112	74	87
9	झारखण्ड	175	47	26	418
10	कर्नाटक	1528	1916	1894	727
11	लक्षद्वीप सहित केरल	2882	1919	1164	900
12	मध्य प्रदेश	637	541	613	273
13	महाराष्ट्र	802	1314	761	993
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित	94	112	441	110
15	उड़ीसा	303	228	171	120
16	पंजाब, चंडीगढ़ सहित	1077	1085	792	344
17	राजस्थान	323	97	498	145
18	तमिलनाडु, पुदुचेरी सहित	6825	5251	5833	3269
19	उत्तर प्रदेश	922	622	575	363
20	उत्तराखण्ड	6	40	39	48
21	पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम सहित	321	354	583	404
	कुल	**19615**	**17665**	**18124**	**10481**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1895

सोमवार, 09 मार्च, 2015/18 फाल्गुन, 1936 (शक)

ई.पी.एफ. अंशदान जमा नहीं किया जाना

1895. श्री रामचरण बोहरा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ नियोक्ता और स्थापनाएं अपना अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में नियमित रूप से जमा नहीं कर रहे हैं और क्या कुछ सरकारी निकाय भी पी.एफ. कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा सरकारी निकायों सहित ऐसे चूककर्ता नियोक्ताओं और स्थापनाओं के विरुद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने पी.एफ. कानूनों का सरकारी निकायों सहित सभी स्थापनाओं/नियोक्ताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा अंशदान जमा न करने के कुछ मामले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के संज्ञान में आएं हैं क्योंकि उन्होंने अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं का उल्लंघन किया है।

(ख) से (ङ): विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (दिसम्बर, 2014 तक) चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में है।

अधिनियम के अंतर्गत शामिल कामगारों के हितों के संरक्षण हेतु ईपीएफओ द्वारा चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) चूककर्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत बकायों के आकलन के लिए कार्रवाई।

(ii) अधिनियम की धारा 14 ख के अंतर्गत बकायों को देर से जमा करने के लिए जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है।

(iii) देरी से जमा कराने पर धारा 7थ के अंतर्गत ब्याज लगाने की कार्रवाई की गई है।

(iv) अधिनियम की धारा 8ख से धारा 8छ के अंतर्गत व्यवस्था अनुसार वसूली कार्रवाई।

(v) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत समुचित न्यायालय में चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने की कार्रवाई।

(vi) कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारी के हिस्से के अंशदान की कटौती करके उसे निधि में जमा नहीं कराने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई।

*****

अनुबंध

ई.पी.एफ. अंशदान जमा नहीं किए जाने के संबंध में श्री रामचरण बोहरा द्वारा दिनांक 09.03.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1895 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अधिनियम के अंतर्गत शामिल चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिस., 2014 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित	1473	1605	1461	399
2	बिहार	91	62	147	16
3	छत्तीसगढ़	99	44	87	100
4	दिल्ली	20	62	105	33
5	गोवा	8	126	102	3
6	गुजरात, दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली सहित	366	293	387	118
7	हरियाणा	241	170	112	160
8	हिमाचल प्रदेश	102	0	0	0
9	झारखण्ड	0	0	0	0
10	कर्नाटक	1132	1217	1152	791
11	केरल, लक्षद्वीप सहित	2284	2009	2078	5646
12	मध्य प्रदेश	171	553	423	386
13	महाराष्ट्र	313	538	181	439
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित	165	135	161	89
15	उड़ीसा	291	96	39	55
16	पंजाब, चंडीगढ़ सहित	89	66	485	52
17	राजस्थान	91	119	210	94
18	तमिलनाडु, पुडुचेरी सहित	4409	3609	5198	3273
19	उत्तर प्रदेश	249	288	555	84
20	उत्तराखण्ड	50	66	87	51
21	पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम सहित	259	337	374	318
	कुल	**11903**	**11395**	**13344**	**12107**

***

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1865

सोमवार, 9 मार्च, 2015/18 फाल्गुन,1936 (शक)

ईपीएस के अंतर्गत पेंशन सीमा को बढ़ाना

1865. श्री ए. अरूणमणिदेवन

श्री एम.बी.राजेश

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएफ) हेतु आयु सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या पेंशन कार्यान्वयन समिति ने अल्प सेवा पेंशन पात्रता आयु को बढ़ाना प्रस्तावित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव कर्मचारियों हेतु किस स्तर तक लाभान्वित होंगे?

(घ) उत्तर

(छ) श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(ज) (श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) जी हां। अल्प सेवा पेंशन पात्रता आयु को 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष तक करने के प्रस्ताव की सिफारिश पेंशन कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) द्वारा की गई थी और यह प्रस्ताव केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के विचाराधीन है। यह प्रस्ताव यदि स्वीकार कर लिया गया तो इससे अल्प सेवा के कारण पेंशन में कमी की संभावना है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1996

सोमवार, 9 मार्च, 2015/18 फाल्गुन,1936 (शक)

ईपीएफ का निवेश

1996. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री संजय धोत्र:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास पड़ी स्थापना निधि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ईपीएफओ द्वारा ऐसी स्थापना निधि के किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) ईपीएफओ द्वारा ऐसी स्थापना निधि के निवेश हेतु क्या मानदंड पालन/अपनाए गए और इस पर कितनी ब्याज दर अर्जित हुई;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान ऐसी निधि के निवेश और उस पर मिलने वाली ब्याज दरों में उक्त मानदंडों की अनियमितताओं/उल्लंघन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी निधि के अंशदाताओं को बेहतर प्रतिफल प्रदान करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): जी हाँ। पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष (दिसंबर, 2014 तक) के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किए गए स्थापना निधि के निवेश के विवरण अनुबंध I में दिए गए हैं।

(ग): सरकार ईपीएफओ निधि के निवेशों के लिए निवेश के प्रतिमान निर्धारित करती है। वर्तमान में, ईपीएफओ श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 21 नवंबर, 2013 को अधिसूचित निवेश प्रतिमान, 2013 का अनुसरण कर रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीएफओ द्वारा घोषित ब्याज की दर निम्नानुसार है:

2012-13	8.50%
2013-14	8.75%
2014-15	8.75%

(घ) और (ङ): जी नहीं।

(च): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड(सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने 25.02.2015 को आयोजित अपनी 201वीं बैठक में निधि की सुरक्षा और अभिरक्षा से समझौता किए बिना निधि की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से निवेश के दिशा-निर्देशों में ढ़ील दी।

अनुबंध

ईपीएफओ के निवेश के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब, श्री संजय धोत्रे: द्वारा दिनांक 09.03.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1996 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	निवेश	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिसम्बर., 2014 तक)
1	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	58,413.58	70,933.82	86,542.30	93,577.52
2(क)	राज्य सरकार	39,145.49	46,441.95	57,692.99	67,526.36
(ख)	सरकारी गारंटी प्राप्त प्रतिभूतियां	2,683.50	7,975.81	12,761.19	13,681.71
3	विशेष जमा योजना	52,660.23	52,730.09	52,811.82	52,845.36
4	सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं (निजी क्षेत्र के बांडों /प्रतिभूतियों सहित)	84,491.83	99,567.72	1,14,896.35	1,31,691.96
	कुल	**2,37,394.63**	**2,77,649.39**	**3,24,704.65**	**3,59,322.91**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1999

सोमवार, 9 मार्च, 2015/18 फाल्गुन, 1936 (शक)

ईएसआई कामगारों हेतु ईपीएफ

1999. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के लाभ देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उक्त प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): जी, नहीं।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि एंव प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 क्रमश: 20 अथवा उससे अधिक तथा 10 अथवा उससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले संगठित क्षेत्र के कामगारों पर लागू हैं।

(ग) से (ड.): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अप्रैल से अक्टूबर में लागू उपभोक्त मूल्य सूचकांक के आधार पर समय-समय पर संशोधित की जाती है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3125

सोमवार, 16 मार्च, 2015/25 फाल्गुन,1936 (शक)

निजी क्षेत्र में कामगारों हेतु योजनाएं

3125. डॉ महेन्द्र नाथ पाण्डेय:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में निजी क्षेत्र के कामगारों की सेवानिवृत्ति के समय उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे;

(ग) क्या सरकार का निजी क्षेत्र में कामगारों/ श्रमिकों को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा हेतु प्रावधान सहित कोई कल्याण योजना आरंभ करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने कामगार लाभान्वित होने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी नहीं। उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत नियोक्ताओं द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत छत्र-प्राप्त स्थापनों में नियोजित कर्मचारियों को उपदान का भुगतान किया जाता है।

(ख): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): सरकार वर्तमान दशाओं के अनुसार कामगारों/श्रमिकों के कल्याण के लिए समय-समय पर स्कीमों का अधिनियमन करती है। संगठित निजी क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, निम्नलिखित अधिनियम प्रचलित हैं।

i. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
ii. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
iii. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923
iv. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
v. उपदान संदाय अधिनियम, 1972.

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3136

सोमवार, 16 मार्च, 2015/25 फाल्गुन,1936 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्यकरण

3136. **श्री संजय धोत्रे:**
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:
क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कितने सदस्य हैं और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत कितने पेंशनर हैं;

(ख) क्या ऐसे सदस्यों और पेंशनरों के अंशदान पर ब्याज दर गत तीन वर्षों के दौरान लगभग 8 प्रतिशत बनी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में ईपीएफओ ने बेहतर प्रतिफल प्राप्ति के लिए नए निवेश पैटर्न को अपनाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वह तंत्र क्या है, जिसके माध्यम से अंशदाताओं/पेंशनरों को खुले बाजार के जोखिम से संरक्षित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ईपीएफओ के कार्यकरण में अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा ऐसे मामलों में त्रुटिकर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) ईपीएफओ के कार्यकरण में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): वर्ष 2013-14 की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार:-

(i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों की कुल संख्या 11.78 करोड़ है।

(ii) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों की कुल संख्या 46.91 लाख है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज की दर ईपीएफ निधि के निवेश पर हुई आय पर निर्भर करती है।

पिछले तीन वर्षों के लिए घोषित ब्याज की दर के विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	ब्याज की दर
2012-13	8.50%
2013-14	8.75%
2014-15	8.75%

कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों के संबंध में ब्याज दर की घोषणा का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने शेयरों में निवेश के बिना ईपीएफओ निधि के निवेशों के लिए दिनांक 21 नवंबर, 2013 के राजपत्र की अधिसूचना सं. 3450(अ.) के माध्यम से नया निवेश प्रतिमान अधिसूचित किया है।

(घ): इस वर्ष(फरवरी, 2015 तक) सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

इनके कारण निम्नानुसार हैं:

i. सीबीआई/एसीबी ट्रैप मामलों में रिश्वत की मांग करना/स्वीकार करना।
ii. सीवीसी और अन्य स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतें।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई/की जा रही कार्रवाई निम्नानुसार है:

i. आपराधिक मामलों में अभियोजन संस्वीकृति की मंजूरी।
ii. कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ(सीसीए) नियम, 1971 के उल्लंघन के लिए दीर्घ/लघु शास्तियों के लिए अनुशासनिक कार्यवाही का आरंभ।

(ङ) ईपीएफओ के कार्यसंचालन में सुधार करने सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. ईपीएफओ ने मानव संसाधन प्रबंधन के लिए विस्तृत डाटा बैंक एकत्र करने के लिए एचआर-निजी सूचना प्रणाली हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया है।

ii. स्टाफ तथा पेंशनभोगियों की शिकायतों के निपटान के लिए ईपीएफओ में ऑनलाइन स्टाफ शिकायत संचालन प्रणाली(एसजीएचएस) भी परिचालित की गई है।

अनुबंध

ईपीएफओ के कार्यसंचालन के संबंध में श्री संजय धोत्रे, श्री भर्तृहरि महताब श्री चंद्रकांत खैरे तथा श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा दिनांक 16.03.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3136 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

2012 से फरवरी 2015 तक के दौरान भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के चालू/निपटाए गए मामले

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012	2013	2014	2015 (फरवरी. 2015 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	15	2	6	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	2	-	-
3.	असम	-	1	1	-
4.	बिहार	11	14	4	-
5.	छत्तीसगढ़	2	-	-	-
6.	गोवा	1	-	1	-
7.	गुजरात	3	1	5	-
8.	हरियाणा	15	2	2	-
9.	हिमाचल प्रदेश	2	1	-	-
10.	झारखण्ड	11	7	15	-
11.	कर्नाटक	5	2	3	-
12.	केरल	4	1	-	-
13.	मध्य प्रदेश	-	-	2	-
14.	महाराष्ट्र	10	3	7	1
15.	मणिपुर	-	-	-	-
16.	मेघालय	-	-	-	-
17.	मिजोरम	-	-	-	-
18.	नागालैण्ड	-	-	-	-
19.	ओडिशा	3	7	2	2
20.	पंजाब	4	3	2	-
21.	राजस्थान	4	1	1	-
22.	सिक्किम	-	-	-	-
23.	तमिलनाडु	8	1	1	-
24.	तेलंगाना	-	-	-	-
25.	त्रिपुरा	-	-	-	-
26.	उत्तर प्रदेश	15	9	-	-
27.	उत्तराखण्ड	1	-	-	-
28.	पश्चिम बंगाल	38	14	12	1
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-
30.	दादर और नगर हवेली	-	-	-	-
31.	दमन एवं दीव	-	-	-	-
32.	दिल्ली	15	4	8	3
33.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
34.	पांडिचेरी	-	-	-	-
	योग	167	75	72	8

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3043

सोमवार, 16 मार्च, 2015/25 फाल्गुन, 1936 (शक)

ईपीएफ की निधियों का निवेश

3043. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की बृहद निधियों के निवेश हेतु परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों की नियुक्ति करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ग): जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कायिक निधि के प्रबंधन के लिए नियुक्त वर्तमान पोर्टफोलियो प्रबंधकों की नियुक्ति की समय-सीमा 31 मार्च,2015 को समाप्त हो रही है। तदनुसार, ईपीएफओ 1 अप्रैल,2015 से अपनी कायिक निधि के प्रबंधन के लिए प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत नये पोर्टफोलियो प्रबंधकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 4214

सोमवार, 20 अप्रैल, 2015/ चैत्र 30, 1937 (शक)

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) उन कंपनियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि के कवरेज को बढ़ाने पर विचार कर रहा है जिनमें कर्मचारियों की संख्या 20 से कम है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रावधन के पालन से बचने के लिए एक ही नाम से व्यवसाय करने वाली तथा समान स्वामित्व/निदेशक मंडल वाली फर्मे/कंपनियां कर्मचारियों की संख्या को इस संदर्भ में अनुमेय सीमा तक सीमित करके शेष कर्मचारियों को दूसरी नई सृजित फर्म/कंपनी में विन्यस्त कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो देशभर में ऐसी फर्मों/कंपनियों द्वारा अपनायी जा रही ऐसी परिपाटियों को रोकने के लिए ईपीएफओ द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज की अवसीमा को 20 कर्मचारी से घटाकर 10 कर्मचारी करने का प्रस्ताव अधिनियम के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के अंतर्गत विचाराधीन है।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 2क में निर्धारित है कि एक ही स्थापन की विभिन्न शाखाओं या विभागों को, चाहे वे एक ही स्थान पर स्थित हों या अलग-अलग स्थानों पर, एक ही स्थापन का भाग माना जाएगा। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत देयता से बचने के लिए स्थापन को विभाग/शाखाओं में बांटने की प्रथा के दृष्टांत हो सकते हैं। किसी भी समय ऐसी घटनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ध्यान/बोध में आने पर ऐसे स्थापनों पर अधिनियम की अनुप्रयोज्यता का निर्णय लेने के लिए धारा 7क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की जाती है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 364

सोमवार, 20 अप्रैल, 2015 / 30 चैत्र, 1937 (शक)

ईपीएफओ हेतु नए आयाम

*364. श्री राजन विचारे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कायिक निधि और उपलब्ध/संचित अन्य निधियों का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों को दिए जाने वाले लाभांश की दर क्या है;

(ख) उन कार्यकलापों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए निधि का उपयोग/व्यय हो रहा है;

(ग) क्या ईपीएफओ अपनी निधि के उपयोग के नए आयाम, जिनमें बाजार में निवेश करना और नए बैंक खोलना शामिल है, खोज रहा है ताकि बेहतर लाभ मिल सके;

(घ) इससे अंशदाताओं के लाभांश में कितने प्रतिशत अनुमानित वृद्धि होगी; और

(ङ) बैंक खोलने के कार्य सहित इस संबंध में कब तक अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

ईपीएफओ हेतु नए आयाम से संबंधित श्री राजन विचारे द्वारा दिनांक 20.04.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 364 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कायिक निधि और संचित अन्य निधियों का (लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार) ब्यौरा 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार है:

क्र.सं.	योजना/निधि	लागत मूल्य पर राशि (करोड़ रुपये में)
1	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952	324,095.33
2	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	208,628.00
3	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976	13699.35
4	स्टाफ भविष्य निधि	1029.14
5	पेंशन-सह-उपदान निधि	2081.79
6	कुल	**549,533.61**

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत लाभार्थियों को अदा किए गए ब्याज की दर वर्ष 2013-14 और 2014-15 प्रत्येक के संबंध में 8.75 प्रतिशत है।

(ख): निधि का उपयोग कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत प्रचलित निम्नलिखित योजनाओं के तहत उपलब्ध प्रसुविधाओं के भुगतान हेतु किया जाता है:

I. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952

निधि का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों नामत: जीवन बीमा पालिसियों के वित्तपोषण, रिहायशी मकान/फ्लेट/स्थल की खरीद/निर्माण/अधिग्रहण, विशेष मामलों में कर्ज के पुनर्भुगतान, कुछ मामलों में बीमारी, शादी अथवा बच्चों की मैट्रिक उपरांत शिक्षा, असाधारण स्थितियों में विद्युत आपूर्ति रोक दिए जाने से प्रभावित सदस्यों को, शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों को, सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के भीतर, 55 वर्ष की आयु में वरिष्ठ पेशन बीमा योजना में निवेश हेतु आदि के तहत भविष्य निधि और निकासी/अग्रिम के भुगतान हेतु किया जाता है।

II. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

निधि का उपयोग पात्र सदस्यों/परिवार/नामिति आदि को निकासी प्रसुविधाओं और पेशन संबंधी प्रसुविधाओं के भुगतान हेतु किया जाता है।

III. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976

निधि का उपयोग दिवंगत सदस्य के नामिति/परिवार को निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रसुविधओं के भुगतान हेतु किया जाता है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के अनुसार, ईपीएफओ की निधि का निवेश केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेश के अनुसार किया जाता है। मोटे तौर पर जारी इन निदेशों के भीतर, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) मुद्दों पर चर्चा करता है और निवेश का निर्णय लेता है। अब तक, ईपीएफओ केवल नियत आय लिखतों में निवेश करता है, यद्यपि, वित्त मंत्रालय ने 02 मार्च, 2015 को निवेश का नया पैटर्न अधिसूचित किया है जो अन्य परिसंपति श्रेणियों में न्यूनतम पांच प्रतिशत निवेश इक्विटी बाजार में करने की अनुमति देता है। ईपीएफओ द्वारा बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ): ईपीएफओ कर्मचारियों को लाभ बढ़ाने के अनवरत प्रयास करता है। तथापि, यह अधिकतर बाजार परिस्थितियों पर निर्भर है।

बैंक खोलने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 4314

सोमवार, 20 अप्रैल, 2015/ चैत्र 30, 1937 (शक)

ईपीएफओ निधि का निवेश

4314. डॉ मनोज राजोरिया:
श्री ए अरुणमणिदेवन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में निवेश के लिए शेयर बाजार तथा इक्विटी में निवेश सहित कोई नया पैटर्न तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने ऊपर बाध्यकारी उच्च प्रति लाभ आस्तियों में 5-15% निवेश की अनुमति देने वाले नए पैटर्न की कानूनी रूप से जांच करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर शेयर बाजार में ईपीएफ निधियों का निवेश करते समय अभिदाताओं के हित को सुनिश्चित किया है; और

(घ) क्या ईपीएफओ के न्यासी कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदान आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने तथा वर्ष 2014-15 के बाद निरंतर 1000/-रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन करने के लिए सहमत हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए शेयर बाजार और इक्विटी में निवेश के लिए निवेश का कोई नया प्रतिमान नहीं बनाया है।

(ख): इक्विटी में निवेश करने के लिए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की उप-समिति, वित्त निवेश एवं लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशें 31.03.2015 को सम्पन्न 207वीं बैठक में सीबीटी के समक्ष पेश की गईं। इस मामले में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(ग): निवेश संबंधी कोई नए दिशा-निर्देश/नीतियां तैयार करते समय ईपीएफ के अभिदाताओं के हित हमेशा सर्वोपरि होते हैं।

(घ): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने 11.03.2015 को सम्पन्न अपनी 206वीं बैठक में अधिवर्षिता पर पेंशन लेने की आयु को वैकल्पिक आधार पर न कि अनिवार्य आधार पर, 58 वर्ष से आस्थगित करके 60 वर्ष करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने इसी बैठक में 2014-15 के बाद भी कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत निरंतर 1,000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान जारी रखने की भी सिफारिश की है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4362

सोमवार, 20 अप्रैल, 2015/30 चैत्र, 1937 (शक)

कर्मचारी पेंशन खाता

4362. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे कुटुम्ब पेंशन खातों का आकलन किया है, जिनमें संबंधित कर्मचारी की नौकरी एक फर्म से दूसरे फर्म में स्थानांतरित हुई हो और पूर्व नियोक्ता द्वारा उसके वेतन से काटी गई राशि संबंधित कर्मचारी के पेंशन खाते में हस्तांतरित नहीं की गई हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से ऐसे पेंशन खातों के लिए खातों के हस्तांतरण से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में ऐसे परिवार पेंशन खातों की लेखापरीक्षा कराई है, जिनका दावा नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल एक फर्म से दूसरी फर्म में किसी कर्मचारी के स्थानांतरण पर कर्मचारी द्वारा पूर्व तथा वर्तमान नियोजन का विवरण देकर अंतरण दावा चाहने पर केवल भविष्य निधि राशियां अंतरित की जाती हैं। पेंशन खातों के संबंध में निधियों का अंतरण नहीं होता है तथा केवल पूर्ववर्ती फर्म की सेवा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के प्रयोजनार्थ वर्तमान नियोजन में जोड़ी जाती है।

(ख) एवं (ग): ईपीएफ शिकायत पोर्टल (ईपीएफआईजीएमएस) में अंतरण दावों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 62,126 शिकायतें (महाराष्ट्र राज्य सहित) पंजीकृत की गई हैं तथा 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार 61,410 शिकायतें निपटा दी गई हैं।

(घ) एवं (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) निष्क्रिय खातों की पहचान करने तथा उनके दावों के निपटान हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। सदस्यों को अपने खातों की पहचान करने तथा दावों हेतु सदस्यों की सहायता के लिए ईपीएफ वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ईपीएफओ ने अपने सभी सदस्यों को सार्विक खाता संख्या (यूएएन) भी आवंटित किया है तथा सदस्यों को भविष्य निधि राशि के अंतरण तथा पेंशन के प्रयोजनार्थ सेवा जोड़ने हेतु अपने पूर्ववर्ती खातों को संबद्ध करने की सुविधा भी दी है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 474

सोमवार, 27 अप्रैल, 2015/7 वैशाख, 1937 (शक)

संगठित/असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन

*474. डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक':

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की कोई योजना देश में विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**

*****

संगठित/असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन से संबंधित डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा दिनांक 27.04.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 474 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए संगठित क्षेत्र के कामगारों के संबंध में वर्ष 2014-15 के लिए 01.09.2014 से कर्मचारी पेशन योजना के तहत प्रतिमाह 1,000/- रुपये की न्यूनतम पेशन अधिसूचित की है। सरकार के इस कदम से लाभान्वित पेंशन भोगियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध पर है।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम की अनुसूची। में असंगठित के कामगारों के लिए कतिपय कल्याण योजनाएं हैं जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) शामिल है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से नीचे रहने वाले परिवार के 60 या उससे अधिक वर्ष के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, 60-79 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों को प्रतिमाह 200/- रुपये तथा 80 और उससे अधिक वर्ष के व्यक्तियों को प्रतिमाह 500/- रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों की पहचान, लाभों की संस्वीकृत्ति एवं संवितरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग): ऊपर प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

संगठित/असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन से संबंधित डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा दिनांक 27.04.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 474 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 593 (अ) दिनांक 19.08.2014 से लाभान्वित पेंशनभोगियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	78354
2	बिहार	56831
3	छतीसगढ़	15328
4	दिल्ली	27022
5	गोवा	4778
6	गुजरात(इसमें दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली शामिल है)	98067
7	हिमाचल प्रदेश	6828
8	हरियाणा	28613
9	झारखंड	34206
10	केरल (इसमें लक्षद्वीप शामिल है)	168384
11	कर्नाटक	143763
12	महाराष्ट्र	279422
13	मध्य प्रदेश	68778
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र	10774
15	ओडिशा	39649
16	पंजाब (इसमें चंडीगढ़ शामिल है)	33146
17	राजस्थान	37672
18	तमिलनाडु (पुदुचेरी सहित)	247913
19	तेलंगाना	95829
20	उत्तराखंड	11406
21	उत्तर प्रदेश	120882
22	पश्चिम बंगाल (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित)	157662
	कुल	**1765307**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 5365

सोमवार, 27 अप्रैल, 2015/ 7 वैशाख, 1937 (शक)

ईपीएस के अन्तर्गत पेंशन में बढ़ोतरी

5365. श्री आर के भारती मोहन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना-95 के अन्तर्गत 1000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन का कार्यान्वयन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): सरकार ने दिनांक 19.08.2014 के सा. सां. नि. सं. 593(अ.) के माध्यम से कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए 01.09.2014 से 1,000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन अधिसूचित की है। सरकार के इस उपाय से लगभग 19.5 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप 439.46 करोड का अतिरिक्त व्यय हुआ है। लाभार्थियों और न्यूनतम पेंशन के निमित्त किए गए व्यय का विवरण अनुबंध 'क' पर दिया गया है तथा फरवरी, 2015 के दौरान सरकार के इस उपाय से लाभान्वित पेंशन भोगियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुबंध 'ख' पर दी गयी है।

*****

अनुबंध 'क'

ईपीएस के अंतर्गत वर्धित पेंशन के संबंध में श्री आर.के.भारती मोहन द्वारा दिनांक 27.04.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5365 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

लाभार्थियों तथा कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत 1000/-रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन के निमित्त व्यय का माहवार विवरण

माह	लाभान्वित पेंशन भोगियों की संख्या	1000/-रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन के बिना देयराशि (रुपये)	1000/-रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन के साथ देयराशि (रुपये)	अंतर (रुपये)
सितम्बर, 2014	1,924,270	1,124,061,995	1,743,480,735	619,418,740
अक्तूबर, 2014	1,938,144	1,142,258,038	1,774,209,111	631,951,073
नवम्बर, 2014	1,949,167	1,173,315,286	1,814,375,515	641,060,229
दिसम्बर, 2014	1,964,295	1,246,618,710	1,905,317,099	658,698,389
जनवरी, 2015	1,662,096	1,076,851,239	1,674,135,321	597,284,082
फरवरी, 2015	1,757,142	1,141,276,174	1,766,959,107	625,682,933
मार्च, 2015	1,791,794	1,071,323,953	1,691,852,443	620,528,490
कुल		**7,975,705,395**	**12,370,329,331**	**4,394,623,936**

अनुबंध 'ख'

ईपीएस के अंतर्गत वर्धित पेंशन के संबंध में श्री आर.के.भारती मोहन द्वारा दिनांक 27.04.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5365 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रम संख्या	राज्य	दिनांक 19.08.2014 की अधिसूचना संख्या सा.सां.नि. 593 (अ.) से लाभान्वित पेंशनभोगियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	78354
2	बिहार	56831
3	छत्तीसगढ़	15328
4	दिल्ली	27022
5	गोवा	4778
6	गुजरात (दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली शामिल हैं)	98067
7	हिमाचल प्रदेश	6828
8	हरयाणा	28613
9	झारखंड	34206
10	केरल (लक्षद्वीप शामिल हैं)	168384
11	कर्नाटक	143763
12	महाराष्ट्र	279422
13	मध्य प्रदेश	68778
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र	10774
15	ओडिशा	39649
16	पंजाब (चंडीगढ़ भी शामिल है)	33146
17	राजस्थान	37672
18	तमिलनाडु (पुडुचेरी सहित)	247913
19	तेलंगाना	95829
20	उत्तराखंड	11406
21	उत्तर प्रदेश	120882
22	पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित)	157662
	कुल	**1765307**

भारत सरकार

श्रम एंव रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5468

सोमवार, 27 अप्रैल, 2015/7 वैशाख, 1937 (शक)

ईपीएफ कानूनों में परिवर्तन

5468. श्री सी एन जयदेवन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने ईपीएफ के अन्तर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों हेतु पेंशन नियमों के संशोधन के लिए सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीबीटी का भी पेंशन की पात्रता हेतु अधिनियम में संशोधन करने और कर्मचारियों द्वारा किए गए अनिवार्य 12 प्रतिशत के अंशदान को समाप्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का 60 महीनों की बजाय औसतन 30 महीने के वेतन की पेंशन की गणना हेतु प्रावधान करने और भविष्य निधि में न केवल वेतन पर अपितु भत्तों पर भी कटौती करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों को किस सीमा तक लाभ मिलेगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड(सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने 11.03.2015 को आयोजित अपनी 206वीं बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की:

(i) वेस्टिंग पेंशन की आयु को 58 से बढ़कर 60 वर्ष करना और उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना जो 60 वर्ष की आयु में पेंशन आहरण का विकल्प चुनते हैं।

(ii) लघु सेवा पेंशन पात्रता आयु को 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष करना।

(iii) वर्तमान औषतन 60 माह के स्थान पर 30 माह पर पेंशन संराशीकरण के लिए पेंशन योग्य वेतन निर्धारित करना।

(iv) 'वास्तविक सेवा' के स्थान पर 'अंशदायी सेवा' के आधार पर अर्हक सेवा का निर्धारण।

(v) अनाथ पेंशनभोगियों की आयु सीमा को 25 वर्ष विनिर्दिष्ट करना।

(vi) उस सदस्य की मृत्यु के मामले में पेंशन निधि की देयता को सीमित करना जिसके संबंध में 36 माह की अवधि तक कोई अंशदान प्राप्त नहीं हुआ।

(vii) 2014-15 के पश्चात न्यूनतम पेंशन 1000/- रुपये की व्यवस्था जारी रखना।

(viii) 15 वर्ष के पश्चात कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 के अंतर्गत पेंशन की संराशीकृत राशि को बहाल करना और संराशीकरण की व्यवस्था को पुन:आरंभ करना।

(ख) कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 में जब और जैसा संशोधन आवश्यक होता है कर दिया जाता है। तथापि, कर्मचारी द्वारा 12% अनिवार्य अंशदान किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि), ने 11.03.2015 को आयोजित अपनी 206वीं बैठक में पेशन संराशीकरण करने के लिए वर्तमान औषतन 60माह के स्थान पर 30 माह पर पेंशन योग्य वेतन निर्धारण की सिफारिश की हैं। तथापि, सरकार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्मचारी भविष्य निधि एंव प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में प्रस्तावित संशोधनों में "अंशदायी मजदूरी" (जिसमें कतिपय भत्ते शामिल नहीं हैं) की नई परिभाषा को शामिल कर लिया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 479

सोमवार, 27 अप्रैल, 2015/7 वैशाख, 1937 (शक)

निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

*479. श्रीमती नीलम सोनकर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी सुरक्षा एजेंसियां, मजदूरों और सुरक्षा गार्डों का शोषण कर रही हैं और इन मजदूरों और सुरक्षा गार्डों की भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के रख-रखाव में अनियमितताएं बरत रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान श्रम और सामाजिक सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने की दोषी पायी गई कंपनियों/एजेंसियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों के विरुद्ध भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और उपदान की बकाया धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन कंपनियों/एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ड.) इस संबंधा में ऐसे मजदूरों/सुरक्षा गार्डों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

*****

निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन से संबंधित श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा दिनांक 27.04.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 479 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): कुछ निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा उसके तहत निर्मित योजनाओं और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उल्लंघन के दृष्टांत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ध्यान में आए हैं। पिछले तीन वर्षों के संबंध में उन निजी सुरक्षा कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा अनुबंध I और II पर है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा उसके तहत निर्मित योजनाओं और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तथाकथित उल्लंघन संबंधी अनियमितताओं का पता चला है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों के विरूद्ध भविष्य निधि (पीएफ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) की बकाया धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	भविष्य निधि बकाया धनराशि	कर्मचारी राज्य बीमा बकाया धनराशि
1.	2012-2013	15294.88	622.39
2.	2013-2014	1616.81	2229.14
3.	2014-2015	2957.78	2267.84

इन कंपनियों के विरूद्ध उपदान की बकाया धनराशि के बारे में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

(घ) और (ड.): कामगार/सुरक्षा गार्डों के हितों की संरक्षा करने के लिए चूककर्ता निजी सुरक्षा कंपनियों के विरूद्ध संबंधित अधिनियमों तथा उनके तहत निर्मित योजनाओं में यथा अभिकल्पित कार्रवाई की जाती है।

निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन से संबंधित श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा दिनांक 27.04.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 479 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के संबंध में जहां अनियमितताओं का पता लगाया गया है, उन निजी सुरक्षा एजेंसियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

राज्य	सुरक्षा कंपनियों की संख्या		
	2012-13	2013-14	2014-15
तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश	53	94	116
बिहार	1	3	5
छत्तीसगढ़	5	3	12
दिल्ली	29	16	28
गोवा	5	2	2
गुजरात सहित दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली	13	67	15
हरियाणा	48	52	131
हिमाचल प्रदेश	5	6	28
झारखंड	7	1	7
कर्नाटक	80	134	222
लक्षद्वीप सहित केरल	32	21	22
मध्य प्रदेश	44	101	147
महाराष्ट्र	114	84	105
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र	1	16	4
ओडिशा	21	10	29
चंडीगढ़ सहित पंजाब	26	21	19
राजस्थान	22	27	60
पुडुचेरी सहित तमिलनाडु	83	101	81
उत्तर प्रदेश	55	67	187
उत्तराखंड	2	6	4
अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	21	37	36
कुल	**667**	**869**	**1260**

अनु. II

निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन से संबंधित श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा दिनांक 27.04.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 479 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों के संबंध में जहां अनियमितताओं का पता लगाया गया है, उन निजी सुरक्षा एजेंसियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्यों के नाम	चूककर्ता निजी सुरक्षा एजेंसियों की वर्ष-वार संख्या		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015
1	आंध्र प्रदेश			
	हैदराबाद	128	106	88
	विजयवाड़ा	0	0	5
	विशाखापत्तनम	0	0	0
	कुल	128	106	93
2	असम	5	3	4
3	बिहार	6	17	32
4	छतीसगढ़	17	18	7
5	दिल्ली, (आरओ)	6	6	12
	ओखला	31	22	32
	रोहिणी	4	6	8
	शाहदरा			
	कुल	41	34	52
6	गोवा	7	5	12
7	गुजरात			
	अहमदाबाद	16	7	7
	वडोदरा	0	5	1
	सूरत	3	0	3
	कुल	19	12	11
8	हरियाणा			
	अम्बाला	0	2	3
	फरीदाबाद	6	8	16
	गुडगाँव	0	0	0
	कुल	6	10	19

9	हिमाचल प्रदेश	8	5	3
10	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
11	झारखंड	2	2	2
12	कर्नाटक			
	बंगलूरू	9	4	9
	बोम्मासंदरां	14	40	22
	गुलबर्गा	5	10	10
	हुबली	0	10	14
	मंगलौर	0	0	0
	मैसूर	1	2	2
	पिनिया	12	5	2
	कुल	41	71	59
13	केरल			
	एर्नाकुलम	2	3	3
	कोल्लम	2	1	1
	कोझीकोड	0	3	4
	त्रिशूर	2	6	6
	तिरुवनंतपुरम	1	1	1
	कुल	7	14	15
14	मध्य प्रदेश	18	52	26
15	महाराष्ट्र			
	औरंगाबाद	0	3	10
	मारोल	1	3	3
	मुंबई	7	22	26
	नागपुर	3	0	0
	नासिक	1	2	0
	पुणे	10	5	17
	ठाणे	10	52	49
	कुल	32	87	105
16	ओडिशा	19	18	6
17	पुडुचेरी	9	6	5
18	पंजाब			
	चंडीगढ़	2	6	3
	जालंधर	0	0	0
	लुधियाना	0	0	0
	कुल	2	6	3

19	राजस्थान			
	जयपुर	17	0	5
	जोधपुर	0	0	2
	उदयपुर	1	1	1
	कुल	18	1	8
20	तमिलनाडु			
	चेन्नई	74	146	132
	कोयम्बटूर	6	10	4
	मदुरै	17	12	11
	सेलम	2	1	1
	तिरुनेलवेली	4	7	6
	कुल	103	176	154
21	उत्तर प्रदेश			
	लखनऊ	2	1	2
	कानपुर	3	4	2
	नोएडा	0	0	1
	वाराणसी	0	1	0
	कुल	5	6	5
22	उत्तराखंड	2	43	63
23	पश्चिम बंगाल			
	बैरकपुर	10	6	29
	दुर्गापुर	0	6	2
	कोलकाता	46	34	61
	कुल	56	46	92
	कुल योग	**551**	**738**	**776**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 5299

सोमवार, 27 अप्रैल, 2015/ 7 वैशाख, 1937 (शक)

कम पारिश्रमिक प्राप्त करने वालों के वेतन में कटौती

5299. श्री रवीन्द्र कुमार जेना:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की विश्व में संगठित क्षेत्र में वेतन जब्ती की सर्वाधिक दर है और यदि हां, तो इससे मिलते-जुलते मॉडल वाले अन्य देशों के साथ तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) कॉस्ट-टु-कंपनी मॉडल में कम पारिश्रमिक प्राप्त करने वालों के वेतन में उच्च पारिश्रमिक प्राप्त करने वालों की तुलना में कटौती की अनुमानित दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच करने के लिए किसी नए सुधार की पहल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री बंडारू दत्तात्रेय

(क) : जी नहीं।

(ख) : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा सांविधिक अंशदान के रूप में अपने वेतन का 12% अथवा 10% जो भी लागू हो, की दर से अंशदान किया जाता है। इसी प्रकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन का 1.75% (15000/-रुपये प्रतिमाह की वेतन की अधिकतम सीमा तक) अंशदान किया जाता है।

(ग) और (घ): वर्ष 2015-16 के लिए बजटीय घोषणा में यह उल्लेख है कि कतिपय सीमा से कम मासिक आमदनी वाले कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं के अंशदान को बिना प्रभावित अथवा कम किए हुए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान को ऐच्छिक बनाया जाना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रस्तावित संशोधन में इस बजटीय घोषणा को क्रियान्वित करने के प्रस्ताव को शामिल किया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम एंव रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5500

सोमवार, 27 अप्रैल, 2015/7 वैशाख, 1937 (शक)

नई पेंशन योजना

5500. श्री ए अनवर राजा:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री राम चरित्र निषाद:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री पी आर सेनथिलनाथन:
श्री आधलराव शिवाजीराव पाटील:
श्री लल्लू सिंह:
श्री पी आर सुन्दरम:
श्री बैजयंत जे पांडा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नई पेंशन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि कर्मचारियों को एनपीएस या कर्मचारी भविष्य निधि में निवेश करने की पेशकश की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न मजदूर संघों ने प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे को सोहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;और

(ङ) क्या सरकार ऐसी कम्पनियों को ईपीएफ कवरेज देने पर विचार कर रही है जिसमें 20 से कम लोग नियोजित हैं और कतिपय आय की सीमा से नीचे ईपीएफ अंशदान को वैकल्पिक बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) नई पेंशन प्रणाली को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का नया नाम देकर सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबी & पीआर दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 द्वारा आरंभ किया गया था।

प्रणाली 1 जनवरी, 2004 से (प्रथम चरण में शस्त्र सेनाओं के अतिरिक्त) केन्द्र सरकार की सेवा में भर्ती सभी के लिए अनिवार्य की गई है। कर्मचारी द्वारा मासिक अंशदान वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के दर से भुगतान किया जाता है और समान भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, सरकार की ओर से उन व्यक्तियों के संबंध में कोई भुगतान नहीं किया जाता है जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

(ख) और (ग) 2015-16 की बजट घोषणा के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफएण्डएमपी) अधिनियम, 1952 के प्रस्तावित संशोधन में कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम(एनपीएस) दोनों में से एक के लिए विकल्प प्रदान करने का प्रस्ताव शामिल कर लिया गया है।

(घ) विभिन्न व्यापार संघों ने ईपीएस एण्ड एनपीएस अधिनियम, 1952 के प्रस्तावित संशोधनों पर 31.03.2015 को आयोजित त्रिपक्षीय परामर्श के दौरान कर्मचारियों को ईपीएस एण्ड एनपीएस में से विकल्प प्रदान करने के प्रस्तावों पर अपनी चिंता जाहिर की। बैठक के दौरान उठाई गई चिंता पर स्पष्टीकरण दिए गए।

(ङ) ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज के लिए उपरी सीमा को 20 से घटाकर 10 करने और छूट प्राप्त कतिपय कर्मचारी वर्गों को ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 के विस्तृत संशोधनों के लिए प्रस्तावों में शामिल किया गया।

*****